<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं.6/33/2023 डीजीटीआर-
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29.10.2025

<u>शुद्धिपत्र अधिसूचना</u>

<u>मामला सं-एडी-ओआई .30/2023</u>

विषय: चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सस्पेंशन पॉलीविनायल क्लोराइड सस्पेंशन रेजिन" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच ।

समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आरपी, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से "पॉलीविनाइल क्लोराइड सस्पेंशन रेजिन" के आयात पर की गई पाटनरोधी जांच के संबंध में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/33/2023-डीजीटीआर, दिनांक 14 अगस्त 2025 जारी की है।

उपरोक्त अधिसूचना में, कई अनुच्छेदों में अनजाने में "प्रस्ताव / प्रस्तावित / प्रस्तावित" शब्द का उल्लेख हो गया है। यह एक मुद्रण त्रुटि है और इसे हटाया जा रहा है। निम्नलिखित अनुच्छेदों को नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाए।

क. **पैराग्राफ 27** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"27. चूँकि डीसीडब्ल्यू ने सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए एस-पीवीसी के घरेलू स्तर पर उत्पादित ग्रेडों के साथ-साथ एस-पीवीसी के आयातित ग्रेडों का भी उपयोग किया है, इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने घरेलू ग्रेड और आयातित ग्रेड का परस्पर उपयोग किया है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के साथ व्यावसायिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय है। इस प्रकार, प्राधिकारी का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे से ऐसे किसी भी ग्रेड को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

ख. **पैराग्राफ 32** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

" अल्ट्रा-लो और अल्ट्रा-हाई के-वैल्यू पीवीसी को बाहर रखने के संबंध में प्रस्तुत किए गए निवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसे बाहर रखा गया क्योंकि घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया कि उसने उक्त ग्रेडों के समान वस्तु की पेशकश नहीं की। तथापि, सी-पीवीसी के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त एस-पीवीसी के मामले में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद का उपयोग सी-पीवीसी के उत्पादन के लिए एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग ने ऐसे ग्रेडों के समान वस्तु की पेशकश की है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे से ऐसे ग्रेडों को बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

ग. **पैराग्राफ 36** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच करने और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कोई विशिष्ट, स्पष्ट रूप से पहचान योग्य श्रेणी नहीं

है जो सी-पीवीसी रेजिन के विनिर्माण के लिए अद्वितीय हो। एपिग्रल लिमिटेड द्वारा सी-पीवीसी रेजिन के विनिर्माण के लिए विशेष के रूप में दावा किए गए पीवीसी सस्पेंशन रेजिन का उपयोग अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है और ऐसे अन्य पीवीसी रेजिन भी हैं जिनका उपयोग सी-पीवीसी रेजिन के विनिर्माण के लिए किया गया है। इसके मद्देनजर, दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि एपिग्रल लिमिटेड द्वारा दावा किए गए ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किए जाने का समर्थन नहीं करते हैं।"

घ. **पैराग्राफ 43** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित दायरे पर निष्कर्ष निकालते हैं।

विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का "होमोपॉलीमर" जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के रूप में भी जाना जाता है, 55 से ऊपर और 77 तक के-वैल्यू के साथ सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित किया जाता है।

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं
i. अल्ट्रा-लो के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (के-वैल्यू 55 तक)
ii. अल्ट्रा-हाई के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (के-वैल्यू 77 से ऊपर)
iii. क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी
iv. क्लोरीनयुक्त पीवीसी (सीपीवीसी),
v. विनाइल क्लोराइड - विनाइल एसीटेट कोपोलिमर (वीसी-वीएसी),
vi. पीवीसी पेस्ट रेज़िन/इमल्शन रेज़िन
vii. मास पॉलीमराइजेशन पीवीसी

viii. पॉलीविनाइल क्लोराइड सम्मिश्रण रेजिन.

इसके अलावा, इमल्शन पॉलीमराइजेशन के माध्यम से निर्मित पीवीसी रेजिन, बल्क मास पॉलीमराइजेशन के माध्यम से निर्मित पीवीसी रेजिन, और माइक्रो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित पीवीसी रेजिन को भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।"

ड. **पैराग्राफ 45** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"इसके अलावा, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, भौतिक एवं रासायनिक गुणों, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। यद्यपि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में विभिन्न विनिर्माण प्रक्रिया/प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, फिर भी अंतिम उत्पाद के विनिर्देश तुलनीय हैं और उनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से भारत में आयातित उत्पाद तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय है, और उपभोक्ता दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। इसके मद्देनजर, नियमों के नियम 2(घ) के अनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।"

च. **पैराग्राफ 46** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"वर्तमान अंतिम जांच परिणाम वर्तमान जाँच पूरी करने की वैधानिक समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान निर्णय इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।"

छ. **पैराग्राफ 51** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"51. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आंकड़ों और आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोधों पर भरोसा किया है। चूँकि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के आयात में शामिल हैं, इसलिए प्राधिकारी ने उन्हें स्थिति निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु अपात्र माना है। यह नोट किया जाता है कि फिनोलेक्स द्वारा आयात उनके उत्पादन का [***]% है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा आयात उनके उत्पादन के [***]% के बराबर है।"

ज. **पैराग्राफ 56** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"56. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा खरीदी गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा नगण्य है। इस प्रकार, यद्यपि डीसीडब्ल्यू को घरेलू उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र माना गया है, फिर भी घरेलू बाजार से खरीद, संबद्ध वस्तुओं की खरीद का उद्देश्य और आयात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी आरआईएल और फिनोलेक्स को अपात्र मानते हैं।"

झ. **पैराग्राफ 61** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"61. पूर्वोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग हैं जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित किया गया है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवश्यकता को पूरा करता है।"

ञ. **पैराग्राफ 113** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"113. प्रारंभिक जांच परिणामों में, ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन (ताइयो विनाइल) द्वारा प्रस्तुत उत्तर को कमियों के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया। डेस्क सत्यापन के दौरान, ताइयो विनाइल द्वारा प्रस्तुत उत्तर की विस्तृत जाँच की गई और निर्यातक ने यह दर्शाया कि प्रस्तुत उत्तर सभी दृष्टियों से पूर्ण और सटीक था। तदनुसार, प्राधिकारी ने ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन (ताइयो विनाइल) द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार कर लिया है। सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की गणना निम्नानुसार की गई है।"

ट. **पैराग्राफ 222** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निम्नलिखित कारणों से वर्तमान जांच में आयातों को संचित करना उचित होगा:-
क. संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है।
ख. प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
ग. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा कुल आयात मात्रा के 3% से अधिक है।
घ. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल संबद्ध देशों में से प्रत्येक से आयात के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।"

ठ. **पैराग्राफ 239** को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"239. इस अनुरोध के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद की पहुँच कीमत वीसीएम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के अनुरूप बढ़ी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग की वीसीएम कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, वीसीएम का आयात केमप्लास्ट कुड्डालोर

विनाइल्स लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा किया जाता है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत की तुलना केमप्लास्ट और डीसीडब्ल्यू की वीसीएम कीमतों से की है। यह नोट किया जाता है कि पहुँच कीमत और वीसीएम की कीमत के बीच अंतर में कमी आई है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वीसीएम की कीमत में आनुपातिक गिरावट के बिना पहुँच कीमत में कमी आई है।"

ड **पैराग्राफ 297** को प्रतिस्थापित कर निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा:

"297. इस अनुरोध के संबंध में कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा उत्पादित उत्पाद में गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि उसने जांच अवधि के बाद विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, घरेलू उत्पादकों से खरीदा है और जांच अवधि के बाद सी-पीवीसी के निर्माण के लिए मुख्य रूप से अपने स्वयं के ग्रेड का उपयोग किया है। चूंकि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की प्रमुख खपत उसके अपने ग्रेड की है, इसलिए प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं में कोई गुणवत्ता संबंधी समस्या नहीं है।"

1. पैराग्राफ 3 (जी) (40), 96 (एनएन) और 335 **में** , "चीन पीआर से गैर-नमूनाकृत सहकारी उत्पादकों की सूची" एस नंबर 9 पर। **फाइनल का** निष्कर्षों के लिए, कृपया **<u>शान्शी बेयुआन केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड</u> के बजाय** शान्शी बेयुआन केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड **पढ़ें** ।

2. पैराग्राफ 3 (एफ) (36) में **फाइनल का** निष्कर्षों के लिए, कृपया **<u>झिंजियांग शेंगक्सियोंग क्लोर-अल्कली कंपनी लिमिटेड</u> के बजाय** झिंजियांग शेंगक्सियोंग क्लोर-अल्कली कंपनी लिमिटेड **पढ़ें** ।

3. **अंतिम के** पैराग्राफ 3 (एफ) (25) में निष्कर्षों के लिए, कृपया **शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड के बजाय** शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कंपनी लिमिटेड **पढ़ें ।**

4. पैराग्राफ 266 में ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन के संबंध में एस नं. 12 पर संशोधित क्षति मार्जिन तालिका नीचे दी गई है -

एस.एन.	निर्माता का नाम	जापानी	उतराई मूल्य	चोट का मार्जिन	चोट का मार्जिन	चोट का मार्जिन
		यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	यूएसडी/एमटी	%	श्रेणी (%)
A. जापान						
12	ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन	***	***	***	***%	5-15%

5. पैराग्राफ 335 में ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन के संबंध में एस नं. 14 पर संशोधित शुल्क तालिका नीचे दी गई है -

एस. नं.	शीर्षक	विवरण*	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता	मात्रा	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	**-करना-**	**-करना-**	जापान	जापान सहित कोई भी देश	ताइयो विनाइल कॉर्पोरेशन	64	मीट्रिक टन	USD

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी